भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2733

09.03.2026 को उत्तर के लिए

पेपर मिल को पर्यावरण मंजूरी

2733. श्री मलविंदर सिंह कंग :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के रूपनगर जिले में श्री चमकौर साहिब तहसील में गांव धोलरान और बस्सी गुजरान में मैसर्स रुचिरा पेपर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पेपर मिल के संबंध में जनता द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रस्तावित स्थल गुरूद्वारा बीर गुरू जंद साहिब, गुरूद्वारा श्री इमली साहिब और गुरूद्वारा कतालगढ़ साहिब नामक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सिख गुरूद्वारों के 500 मीटर के दायरे में स्थित है;

(ग) क्या यह परियोजना रायपुर नाला, धोलरान नाला, एमसीएम नाला और सरहिंद नहर के निकट होने के कारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत 30 जनवरी, 2025 को अधिसूचित स्थल निर्धारण मानदंड का उल्लंघन करती है; और

(घ) क्या यह सच है कि 30 अप्रैल 2025 को हुई जन सुनवाई के दौरान पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देने से मना करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : 'लुगदी एवं कागज उद्योग' पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (ईआईए अधिसूचना, 2006) की अनुसूची में खंड 5(i) के अंतर्गत आता है तथा परियोजना के निर्माण या संचालन की शुरूआत से पहले संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करना आवश्यक है। ईसी प्रदान करने की प्रक्रिया के चार चरण होते हैं, अर्थात् स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है, जिनमें सार्वजनिक सुनवाई संबंधी कार्यवाही

और उसमें उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तावित कार्य योजना, परियोजना स्थल की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और प्रस्तावित उपशमन उपायों की पर्याप्तता शामिल हैं।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स रुचिरा पेपर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पेपर मिल परियोजना के लिए, जो श्री चमकौर साहिब तहसील, रूपनगर जिले के ढोलरान और बस्सी गुज्जरान गांवों में स्थित है, दिनांक 30.04.2025 को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, रूपनगर के अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जन सुनवाई आयोजित की गई थी। उक्त जन सुनवाई के दौरान, जनता द्वारा उठाई गई आपत्तियों और चिंताओं को विधिवत संज्ञान में लिया गया और जन सुनवाई की कार्यवाही में दर्ज किया गया।

पीपीसीबी ने आगे बताया है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल के 500 मीटर के दायरे में कोई धार्मिक स्थल नहीं है, और पेपर मिल की प्रस्तावित भूमि से होकर एक मौसमी नाला गुजरता है। रायपुर नाला और सरहिंद नहर उक्त परियोजना स्थल की निकटतम सीमा से क्रमशः लगभग 10 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।

परियोजना प्रस्तावक ने पेपर मिल की स्थापना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ईसी हेतु आवेदन किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना के संबंध में आवश्यक विवरण मांगे थे, और परियोजना प्रस्तावक ने अभी तक अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

****